कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 358/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 13.09.2026

थाना–मुबारकपुर, जनपद–आजमगढ़

- ***थाना मुबारकपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई—दो चोरी की घटनाओं में 03 अभियुक्त गिरफ्तार***
- ***चोरी की बाइक, चांदी की माला, चांदी का सिक्का, नाक की कील, 04 साड़ियां, ₹6,100 नगद व अवैध तमंचा-कारतूस बरामद***
- ***दिन में रेकी, रात में चोरी करने वाले शातिर चोर का खुलासा; गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक पर 11 मुकदमों का आपराधिक इतिहास***
- ***दो अलग-अलग चोरी की घटनाओं का अनावरण, एक अन्य साथी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी***

घटना का विवरण–
थाना मुबारकपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नीबी बुजुर्ग निवासी वादिनी श्रीमती मुराली देवी पत्नी रामकेवल यादव के घर में दिनांक 07.09.2026 को ताला तोड़कर जेवरात एवं नगदी चोरी किए जाने के संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर दिनांक 12.09.2026 को मु0अ0सं0 332/26 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे। दिनांक 13.09.2026 को उ0नि0 सतीश कुमार मय पुलिस टीम द्वारा सूचना पर अंश ग्रुप प्लाट के पास घेराबंदी कर *राजीव प्रजापति पुत्र सुरेन्द्र प्रजापति, उम्र करीब 34 वर्ष एवं शिवम गोड़ पुत्र सुबाष गोड़, उम्र करीब 18 वर्ष, निवासीगण मोहब्बतपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़* को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से *01 चांदी की माला, 01 चांदी का सिक्का एवं ₹5,000 नगद* बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा ग्राम नीबी बुजुर्ग में चोरी की घटना कारित करना स्वीकार किया गया। चोरी किए गये जेवरात एवं रुपये बेचकर प्राप्त धनराशि को पार्टी में खर्च करने तथा टोटो की किश्त भरने की बात बतायी गयी। विवेचना के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

दूसरी चोरी की घटना का अनावरण–
दिनांक 10.09.2026 की रात्रि थाना मुबारकपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पुरुषोत्तमपुर निवासी वादी श्री छोटेलाल गोड़ पुत्र स्व0 महादेव गोड़ के घर में अज्ञात चोरों द्वारा घुसकर बक्सा चोरी कर लिया गया था, जिसमें साड़ी, चांदी की पायल, नाक की नथुनी/कील आदि सामान था। वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 11.09.2026 को मु0अ0सं0 330/26 धारा 305, 331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त अभिषेक यादव का नाम प्रकाश में आया।

दिनांक 13.09.2026 को उ0नि0 सौरभ सिंह मय पुलिस टीम द्वारा बिजरवा सर्विस लेन पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर *अभिषेक यादव पुत्र महेन्द्र यादव, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी खोजापुर माधोपट्टी, थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़* को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त के कब्जे से *01 चोरी की बजाज CT100 मोटरसाइकिल, 01 नाक की कील (पीली धातु), 04 साड़ियां, ₹1,100 नगद तथा 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर* बरामद हुआ। बरामद मोटरसाइकिल थाना निजामाबाद के मु0अ0सं0 226/26 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित पायी गयी।
पूछताछ का विवरण–
पूछताछ में अभियुक्त अभिषेक यादव द्वारा अपने साथी *अंकित पुत्र सुरेन्द्र, निवासी लेढुआ, थाना तहबरपुर* के साथ मिलकर दिन में रेकी एवं रात में चोरी की घटनाओं को अंजाम देना बताया गया। अभियुक्त द्वारा दिनांक 05/06.09.2026

की रात्रि मेल्हूगंज बाजार से बाइक चोरी तथा दिनांक 10.09.2026 की रात्रि पुरुषोत्तमपुर में चोरी की घटना कारित करना स्वीकार किया गया। प्रकाश में आये अभियुक्त अंकित की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. राजीव प्रजापति पुत्र सुरेन्द्र प्रजापति, उम्र करीब 34 वर्ष, निवासी मोहब्बतपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
2. शिवम गोड़ पुत्र सुबाष गोड़, उम्र करीब 18 वर्ष, निवासी मोहब्बतपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।
3. अभिषेक यादव पुत्र महेन्द्र यादव, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी खोजापुर माधोपट्टी, थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग–

1. मु0अ0सं0 332/26 धारा 305, 317(2) बीएनएस, थाना मुबारकपुर।
2. मु0अ0सं0 330/26 धारा 305, 331(4), 317(2) बीएनएस, थाना मुबारकपुर।
3. मु0अ0सं0 333/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मुबारकपुर।

आपराधिक इतिहास–

गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक यादव के विरुद्ध थाना कंधरापुर, कोतवाली आजमगढ़ एवं थाना निजामाबाद में चोरी, शस्त्र अधिनियम, मारपीट एवं गिरोहबंद अधिनियम सहित *कुल 11 अभियोग* पूर्व से पंजीकृत हैं।

बरामदगी–

01 बजाज CT100 मोटरसाइकिल, 01 चांदी की माला, 01 चांदी का सिक्का, 01 नाक की कील (पीली धातु), 04 साड़ियां, ₹6,100 नगद, 01 अवैध तमंचा .315 बोर एवं 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

उ0नि0 सतीश कुमार, हे0का0 पंकज कुमार, का0 सर्वेश यादव एवं का0 चन्दन गोड़ तथा उ0नि0 सौरभ सिंह, उ0नि0 नारायण यादव, का0 कन्हैया कुमार, का0 विजय गोड़ एवं का0 संतोष गोड़, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना–मेहनाजपुर, जनपद–आजमगढ़

□ दहेज प्रताड़ना के मामले में वांछित पति व भसुर गिरफ्तार

□ विवाहिता की मृत्यु के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद दोनों अभियुक्तों को घर पर दबिश देकर दबोचा

घटना का विवरण–

दिनांक 12.09.2026 को वादी मुकदमा श्री श्यामजीत राजभर पुत्र स्व0 फेक्कन राजभर, निवासी ग्राम मौधा, थाना खानपुर, जनपद गाजीपुर द्वारा थाना मेहनाजपुर पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री बबीता राजभर का विवाह वर्ष 2026 में राजन राजभर पुत्र रामबचन राजभर, निवासी ग्राम चिल्लूपुर, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ के साथ हिन्दू रीति-रिवाज से हुआ था। विवाह के बाद से ही बबीता के पति राजन राजभर व भसुर आनन्द राजभर द्वारा दान-दहेज एवं रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था, जिसकी जानकारी बबीता द्वारा अपने पिता को कई बार दी गयी थी। दिनांक 12.09.2026 को प्रातः करीब 03:00 बजे बबीता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना मेहनाजपुर पर मु0अ0सं0 81/2026 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया। मुकदमे की विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष मेहनाजपुर अखिलेश कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में दिनांक 13.09.2026 को उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्तों की तलाश में उनके घर पर दबिश दी गयी। मौके पर दोनों अभियुक्त मौजूद मिले, जिन्हें समय करीब 14:30 बजे गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. राजन राजभर पुत्र रामबचन राजभर, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी ग्राम चिल्लूपुर, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।
2. आनन्द राजभर पुत्र रामबचन राजभर, उम्र करीब 29 वर्ष, निवासी ग्राम चिल्लूपुर, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 81/2026, धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 दीपक कुमार, थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़।
2. हे0का0 संजय यादव, थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़।
3. रि0का0 अजय चौहान, थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़।
4. रि0का0 शैलेन्द्र सिंह, थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़।
5. रि0का0 विशाल शर्मा, थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़।

थाना–फूलपुर, जनपद–आजमगढ़

□ मकान व किराना दुकान में जबरन घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ व चोरी करने वाली 06 अभियुक्ताएं गिरफ्तार

□ महिला को बंधक बनाकर मारपीट तथा मकान-दुकान का सामान चोरी करने का आरोप

□ अभियुक्ताओं की निशानदेही पर चोरी किये गये 75 अदद सामान बरामद

घटना का विवरण–

दिनांक 12.09.2026 को वादिनी मुकदमा, निवासी ग्राम जफरचक, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना फूलपुर पर तहरीर दी गयी कि विपक्षीगण द्वारा एकराय होकर लाठी-डण्डा, रॉड, हथौड़ा, ड्रिल मशीन आदि से लैस होकर उनकी बहन के मकान व किराना दुकान में जबरन घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ एवं चोरी की गयी तथा उन्हें कमरे में बंधक बना दिया गया।

तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 280/2026 धारा 3(5), 110, 115(2), 352, 119(1), 127(2), 331(5), 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसमें विवेचना के दौरान धारा 317(2) एवं 61(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 13.09.2026 को पुलिस टीम द्वारा अभियुक्ता *सुषमा प्रजापति एवं अंजनी मालिन* को ब्लॉक फूलपुर से तथा *सुनीता, शान्ति देवी, इन्द्रावती एवं माधुरी मौर्या* को जगदीशपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ताओं की निशानदेही पर चोरी किये गये किराना दुकान एवं मकान के *75 अदद सामान* बरामद किये गये। सभी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास–

अभियुक्ता सुषमा प्रजापति के विरुद्ध थाना फूलपुर में मु0अ0सं0 280/2026 एवं मु0अ0सं0 208/2026 पंजीकृत हैं। अन्य अभियुक्ताओं का कोई अन्य आपराधिक इतिहास उपलब्ध नहीं कराया गया है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम–

उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी, उ0नि0 कमालुद्दीन, म0उ0नि0 रानी साहू, हे0का0 राजीव यादव, का0 शुभम सिंह, का0 अमित कुमार यादव, का0 राकेश कुमार सिंह, म0का0 अंशु गुप्ता, म0का0 अमृता सिंह, म0का0 पूनम देवी, म0का0 आंचल एवं म0का0 खुशबू यादव, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना–फूलपुर, जनपद–आजमगढ़

□ विद्युत करंट से 17 वर्षीय किशोरी की मृत्यु के मामले में दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□ खेत में खतरनाक तरीके से लगाये गये नंगे विद्युत तार की चपेट में आने से हुई थी किशोरी की मृत्यु

□ घटना के बाद से वांछित दोनों अभियुक्तों को खानजहाँपुर चौराहे के पास से किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण–

दिनांक 12.09.2026 को वादी मुकदमा निवासी ग्राम खानजहाँपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना फूलपुर पर लिखित सूचना दी गयी कि उनकी पुत्री, उम्र करीब 17 वर्ष, गांव के ही सूरज पुत्र वरिष्ठ से बातचीत करती थी। इसकी जानकारी होने पर करीब एक माह पूर्व वादी मुकदमा द्वारा अपनी पुत्री को उसके ननिहाल ग्राम सदपुर बरौली में छोड़ दिया गया था।

दिनांक 10.09.2026 को सूरज द्वारा जानबूझकर वादी मुकदमा की पुत्री को मिलने के लिए अपने घर के पीछे स्थित खेत में बुलाया गया, जहां खेत में फसल बोने वाले शंकर पुत्र हरखू, निवासी खानजहाँपुर, द्वारा खतरनाक तरीके से बिजली के नंगे तारों की बाड़ लगाकर उसमें विद्युत प्रवाह किया गया था। उक्त विद्युत तार की चपेट में आने से वादी मुकदमा की पुत्री, उम्र करीब 17 वर्ष, की मृत्यु हो गयी।

उक्त सूचना के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 279/2026 धारा 3(5)/115(2)/105 बीएनएस पंजीकृत किया गया। मुकदमे की विवेचना उ0नि0 शिवशरण सिंह द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक फूलपुर देवेन्द्र प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में दिनांक 13.09.2026 को उ0नि0 शिवशरण सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सूरज पुत्र वरिष्ठ एवं शंकर पुत्र हरखू को खानजहाँपुर चौराहे के पास से समय करीब 07:10 बजे गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. सूरज पुत्र वरिष्ठ, निवासी ग्राम खानजहाँपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
2. शंकर पुत्र हरखू, निवासी ग्राम खानजहाँपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 279/2026 धारा 3(5)/115(2)/105 बीएनएस, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास–

मु0अ0सं0 279/2026 धारा 3(5)/115(2)/105 बीएनएस, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

उ0नि0 शिवशरण सिंह, हे0का0 बृजेश यादव, का0 अरविन्द कुमार यादव एवं का0 अमित कुमार, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

□ थाना बिलरियागंज व थाना महराजगंज की कार्रवाई में कुल 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
□ थाना बिलरियागंज में 2019 के अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में 06 वर्ष से वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार
□ थाना महराजगंज में महिला व उसके दो बच्चों के अपहरण के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बिलरियागंज
दिनांक 09.04.2019 को थाना बिलरियागंज क्षेत्रान्तर्गत एक किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं घटना में सहयोग करने के संबंध में मु0अ0सं0 50/2019 धारा 363/366/506/120-B भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान किशोरी को दिनांक 04.01.2020 को बरामद कर मुख्य अभियुक्त सुनील को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

विवेचना के क्रम में वांछित अभियुक्ता *सरोज देवी पत्नी चन्द्रिका, निवासी ग्राम पाँती खुर्द, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष* की तलाश की जा रही थी। दिनांक 13.09.2026 को उ0नि0 प्यारे राम मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता को उसके घर के बाहर से समय करीब 11:30 बजे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्ता द्वारा अपना बयान अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में देने की बात बतायी गयी। अभियुक्ता के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
पंजीकृत अभियोग–
मु0अ0सं0 50/2019, धारा 363/366/506/120-B भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
थाना महराजगंज
दिनांक 22.07.2026 को थाना महराजगंज क्षेत्रान्तर्गत एक महिला अपने दो बच्चों के साथ दवा लेने के लिए घर से निकली थी, जो वापस घर नहीं पहुंची। काफी खोजबीन के बाद भी जानकारी न मिलने पर परिजनों द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गयी। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 181/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान महिला एवं दोनों बच्चों की बरामदगी की गयी। पीड़िता के बयान के आधार पर प्रकरण में धारा 69/84 बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए धारा 87 बीएनएस का लोप किया गया तथा *अब्दुल्लाह अहमद पुत्र इमदाद मंसूरी, निवासी सिकन्दरपुर आयमा, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष* का नाम प्रकाश में आया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के निर्देशन तथा थानाध्यक्ष जयप्रकाश के नेतृत्व में दिनांक 12.09.2026 को उ0नि0 शैलेश कुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अब्दुल्लाह अहमद को परशुरामपुर बाजार के आगे कैप्टन अर्जुन सिंह गेट के पास से समय करीब 13:10 बजे गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी में कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
पंजीकृत अभियोग–
मु0अ0सं0 181/2026, धारा 137(2)/69/84 बीएनएस, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता–
1. सरोज देवी पत्नी चन्द्रिका, निवासी ग्राम पाँती खुर्द, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष।
2. अब्दुल्लाह अहमद पुत्र इमदाद मंसूरी, निवासी सिकन्दरपुर आयमा, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–
थाना बिलरियागंज से थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा, उ0नि0 प्यारे राम, का0 छट्ठू साहनी, का0 संतू साहू एवं म0का0 कोमल तथा थाना महराजगंज से थानाध्यक्ष जयप्रकाश के नेतृत्व में उ0नि0 शैलेश कुमार यादव, का0 उपेन्द्र यादव एवं का0 दीपक जायसवाल द्वारा अभियुक्त/अभियुक्ता की गिरफ्तारी की गयी।